तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 110/2024 बअनवान गोविन्ददान बनाम महेन्द्रपाल के कायम मुकाम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

आदेश

दिनांक 05.02.2025

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्रसिंह
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री अम्बालाल जोशी, श्री कुमार कौशल जोशी

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष की विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा हस्तगत आवेदन में अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे का त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांटगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। धारा 05 के प्रार्थना–पनत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलकर्ता द्वारा अपना जबाव प्रसतुत किया तब उनके अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि यह राजस्व वाद आवेदन पत्र है इसमें हर पेशी पर पक्षकारों की आवश्यकता नहीं रहती है तथा अब इस वाद में जब भी अपीलकर्ता के बयानों की आवश्यकता होगी तब अपीलकर्ता को बुला लेंगे जिस पर अपीलकर्ता ने अपने अधिवक्ता की बात पर विश्वास कर लिया। अभी अपीलकर्ता अर्सा 10 दिन पूर्व अपने अधिवक्ता के पास आया और उक्त वाद पत्र के बारे में जानकारी ली तब उसके अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थीगण उतरदाता संख्या 01 से 03 द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था वह स्वीकार हो गया है तथा अब विवादित भूमि बाबत न्यायालय से स्टे हो चुका है तब अपीलकर्ता ने न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करते हुए आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की जो नकले दिनांक 16.12.2024 को प्राप्त हुई तब अपीलकर्ता को उक्त आलोच्य आदेश का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ तथा ज्ञान की दिनांक से अन्दर मियाद पेश है। अतः अपीलांट द्वारा पेश अपील अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेंटस के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील कालबाधित पेश की गई क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.02.2023 को उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में पारित किया गया है, के विरूद्ध यह अपील अति विलम्ब से अब दिसम्बर 2024 में यानि 22 माह पश्चात

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बिना किसी संतोषजनक विश्वास योग्य कारण के पेश की गई है। ज्ञात रहे अपीलाधीन आदेश की अब जानकारी का झूठा शपथ पत्र लगाकर पेश की गई यह अपील न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरूपयोग है। अपीलांट द्वारा विलम्ब के संबंध में जो कथन अंकित किये है वे नितांत औचित्यहीन व झूठे ही नहीं बल्कि कानून की दृष्टि से भी मान्य नहीं है। अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्येक पेशी पर पैरवी हेतु उपस्थित हो रहा है एवं विवेच्य अपीलाधीन आदेश की पूर्ण रूपेण जानकारी अपीलांटस को उसी दिन अर्थात 09.02.2023 से रही है अब दस दिन पूर्व इस आदेश की जानकारी होने की बात झूठी है। स्वयं हिम्मत देथा द्वारा हस्ताक्षरित अपील संख्या 32/2022 में जबाव शपथ–पत्र व वकालतनामा के अवलोकन मात्र से प्रमाणित हो जाता है कि आलोच्य अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.02.2023 का सुनिश्चित ज्ञान डॉ. हिम्मत देथा (वर्तमान अपीलांट) को दिनांक 03.05.2023 को तो व्यक्तिगत रूप से हो चुका है। ऐसी दशा में श्रीमान के लिये हसतगत वर्तमान अपील म्याद बाहर होने से इसी स्टेज पर विधि अनुसार तत्काल खारिज किया जाना आवश्यक रूप से बाध्यकारी है। इसलिए अपीलांटस की अपील को मियाद के बिंदु पर ही खारिज फरमाया जावे। उतरदाता के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–RRT 2024(1) Page 307, RRT 2024(1) Page 356

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। मूल वाद विचाराधीन है। मूल वाद के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विचारण में रहते अपीलांटस को उसके खातेदारी अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि एक खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकरण में अपीलकर्ता जो एक रेकर्डेड खातेदार है तथा उतरदाता संख्या 01 से 03 वादग्रस्त खेत के रेकर्डेड खातेदार नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जो विधि सम्मत नहीं है। मामला प्रथम दृश्टया, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। हस्तगत अपील का तकनीकि बिंदु पर निस्तारण करने की बजाय गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना विधि सम्मत है। अपीलांटस के शपथ–पत्र पर विश्वास कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांट द्वारा पेश अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा आवेदन संख्या 30/2019 बअनवान महेन्द्रपाल वगैरह बनाम हेतुदान वगैरह में पारित आदेश दिनांक 09.02.2023 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश दिनांक 05.02.2025 को सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर